महानिदेशक, सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा
दिनांक 30 सितम्बर 2025
दैनिक जागरण
अम्बाला

पोर्टल पर किस्त अपडेट में लगे छह वर्ष, एचएसवीपी फरीदाबाद की लापरवाही पर राज्य सेवा आयोग सख्त

- कहा- इसरो ने चांद की दूरी नाप ली, इतने दिन में आपसे किस्त नहीं अपडेट हुई
- शिकायतकर्ता को मुआवजा और ब्याज वापस करने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : इसरो को चंद्रयान अभियानों में 3.8 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा तक पहुंचने में भी इससे कम समय लगा, परंतु एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) को इतनी साधारण प्रक्रिया पूरी करने में छह वर्ष लग गए। कुछ इस तरह की टिप्पणी सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने फरीदाबाद का एक फैसला सुनाते हुए एचएसवीपी के अधिकारियों पर की। प्राधिकरण ने एक प्लाटधारक की किस्त छह साल तक अपने पोर्टल पर आनलाइन अपडेट नहीं की थी। पीड़ित चक्कर लगाता रहा। किस्त पर ब्याज पर वसूल लिया। जब मामला सेवा का अधिकार आयोग के पास पहुंचा तो समाधान हुआ।

मुख्य आयुक्त ने लापरवाही के इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए इसी टिप्पणी के साथ संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को मामले को गलत तरीके से अस्वीकृत करने और शिकायतकर्ता की अनदेखी करने के लिए चेतावनी दी है तथा आगाह किया है कि भविष्य में किसी भी अधिसूचित सेवा में ऐसी चूक पाई जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह था मामला : ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-75 में रहने वाले हरीश ने सेवा का अधिकार आयोग को भेजी शिकायत में बताया था कि वह एसबीआइ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 में 160 वर्गगज का प्लाट लिया था, जिसकी पूरी कीमत छह किस्तों में अदा करनी थी। इसी प्लाट की दूसरी किस्त 2019 में एचएसवीपी ने आनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं की। पोर्टल किस्त लंबित दिखाता रहा। वह लगातार कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। कई पत्र लिखे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। किस्त का ब्याज भी जुड़ता रहा। उन्होंने बाकी सभी किस्त अदा कर दी, लेकिन यह किस्त और उसका ब्याज बकाया रहा। उन्होंने पीएम पोर्टल से लेकर सीएम विंडो पर शिकायत दी, लेकिन अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट अपलोड कर दी। उनका समाधान नहीं हुआ। इसी साल फरवरी में एक शिकायत हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को भेजी। उनके मामले पर वीसी से मुख्य आयुक्त ने सुनवाई की। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए आयुक्त ने हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत यह आदेश दिया है।

स्वास्थ्य जांच शिविरों का लोग उठा रहे भरपूर लाभ : विज

जागरण संवाददाता • अंबाला : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज सोमवार को सेवा पखवाड़ा के तहत श्याम नगर में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मौके पर उन्होंने यहां पर लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर का अवलोकन भी किया और चिकित्सकों से बातचीत कर यहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थीं उसकी जानकारी ली। सिविल सर्जन डा. राकेश सहल, पीएमओ डा. पूजा व भाजपा के पदाधिकारियों ने विज का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में लोग आगे आकर इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मिक्की माडल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रामायण पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। स्वास्थ्य जांच शिविर में ओपीडी के तहत 445 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इसके अलावा 148 लोगों को चश्मे भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विकास बहगल, किरण पाल चौहान, राम बाबु यादव, मदन लाल शर्मा, भारत कोछड़, नरेंद्र राणा, संजीव अत्री मौजूद रहे।

दैनिक जागरण (अम्बाला)